भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 234

19 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं

234. डॉ. सुकान्त मजूमदार:

डॉ. जयंत कुमार राय:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

श्री एन. रेड्डप्प:

श्री रवनीत सिंह:

श्री भोला सिंह:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री राजवीर सिंह (राजू भैया):

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

श्री सु. थिरुनवुक्करासर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में इलेक्ट्रिक स्कूटरों/इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की कई भयानक घटनाओं की सूचना मिली है जिसके परिणामस्वरूप लोगों की मौत हो गई और घायल हो गए जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी माह-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का भविष्य में इन घटनाओं के कारण विकास दर और इलेक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.) की आपूर्ति में किसी भी तरह की गिरावट का अनुमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयातित घटकों के लिए पर्याप्त परीक्षण सुविधाओं सहित कोई उपाय कर रही है ताकि घरेलू परिस्थितियो के साथ उनका समावेश सुनिश्चित हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त मुद्दों की जांच के लिए सभी वाहनों को वापस लेने, दोषपूर्ण विनिर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई करने और दुर्घटनाओं के लिए पर्याप्त मुआवजा

सुनिश्चित करने और उपचारात्मक कदमों संबंधी कोई सिफारिश करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने चूक करने वाली कंपनियों को आवश्यक आदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक उठाए जा रहे अन्य कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): उपलब्ध सूचना के अनुसार, इलेक्ट्रिक स्कूटर/इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं निम्नानुसार हैं: -

माह	राज्य
मार्च, 2022	तमिलनाडु
अप्रैल, 2022	आंध्र प्रदेश

(ख) से (ग): वाहन पोर्टल के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कोई गिरावट नहीं आई है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 में निर्दिष्ट संगत मानकों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए घटकों का परीक्षण किया जाता है।

(घ) से (च): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीआरडीओ, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलुरु और नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल) विशाखापत्तनम के स्वतंत्र विशेषज्ञों की विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
निम्नलिखित निर्माताओं ने वाहनों को वापस ले लिया है:

i. ओकिनावा ने 16 अप्रैल, 2022 को 3215 वाहनों को वापस मंगाया है ।
ii. प्योर ईवी ने 21 अप्रैल, 2022 को 2000 वाहनों को वापस लिया है।
iii. ओला इलेक्ट्रिक ने 23 अप्रैल, 2022 को 1441 यूनिट वाहनों को वापस मंगाया है।

आग लगने की घटनाओं की उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संबंधित दुपहिया इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और यह पूछा है कि उन पर मोटर वाहन अधिनियम की संगत धाराएं क्यों न लगाई जाएँ।

****